कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः– 53 / बा० शा० /   दिनांकः– 30/01/2024

इच्छा की अभिव्यक्ति

राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पार्कों का रख–रखाव हेतु Central Government PSE (CPSE)/State Government PSE के माध्यम से Jharkhand Municipal Park Maintenance Policy, 2022 के तहत् रख–रखाव कराया जाना है। इस हेतु इच्छुक CPSE/SPSE से दिनांक 15/02/2024 को अपराह्न 04.00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है, इच्छुक CPSE/SPSE अपना आवश्यक दस्तावेज के साथ PPT Format में पार्क का रख–रखाव हेतु प्रस्ताव समर्पित करना होगा। Presentation देने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जिस CPSE/SPSE का प्रस्ताव सर्वप्रिय पाया जायेगा, उसे संबंधित पार्क के रख–रखाव का कार्य आवंटित किया जाएगा। पार्कों की विवरणी निम्न है :–

क्र० सं०	रख–रखाव किये जाने वाले पार्क का नाम	पता
01	हरमू सेक्टर 06 पार्क	हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची।
02	हरमू सेक्टर 12 पार्क	हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची।
03	करमटोली पार्क/तालाब	करमटोली चौक, राँची।
04	जयपाल सिंह मुण्डा स्टेडियम	कचहरी रोड, राँची।

नियम एवं शर्त्ते निगम वेब–साईट **www.ranchimunicipal.com** पर प्रर्दर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय के बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

अपर प्रशासक,
राँची नगर निगम, राँची।

कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

इच्छा की अभिव्यक्ति

नियम एवं शर्ते

1. राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पार्को (Annexure – I संलग्न) के रख–रखाव हेतु Central Government PSE (CPSE)/State Government PSE (SPSE) का चयन किया जाना है।
2. इच्छुक CPSE/SPSE को प्रत्येक पार्क का रख–रखाव का प्रस्ताव तैयार कर राँची नगर निगम कार्यालय में समर्पित करना होगा। जिनका रख–रखाव का प्रस्ताव राँची नगर निगम के चयन समिति द्वारा सर्वप्रिय पाया जायेगा उसे संबंधित पार्क के रख–रखाव का कार्य आवंटित किया जाएगा।
3. चयनित CPSE/SPSE को आवंटित पार्क का रख–रखाव 01 वर्ष के लिए एकरारनामा किया जाएगा। उक्त अवधि में रख–रखाव का कार्य संतोषप्रद रहने के स्थिति में इसे भविष्य में अवधि विस्तार दिया जा सकेगा। कार्य अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवंटन रद्द करने का अधिकार प्रशासक, राँची नगर निगम, राँची के पास होगा।
4. चयनित CPSE/SPSE द्वारा समर्पित रख–रखाव को "Jharkhand Municipal Park Maintenance Policy, 2022" के अनुरुप ही कार्य सम्पन्न करना होगा। बिना राँची नगर निगम, राँची से पूर्व अनुमति के कोई भी अतिरिक्त कार्य या कोई संरचना करने पर एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
5. चयनित CPSE/SPSE अपने संस्था का नाम राँची नगर निगम के साथ संयुक्त रूप से पार्क में अंकित कर सकता है।
6. पार्क में इस्तेमाल कि जाने वाली बिजली एवं पानी के बिल का वहन चयनित CPSE/SPSE द्वारा किया जाएगा।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

7. इच्छुक CPSE/SPSE को Annexure – III के साथ संस्थान से संबंधित सभी दस्तावेज कार्यालय में जमा करना होगा।

8. दिनांक 15.02.2024 को अपराह्न 4:00 बजे तक संबंधित CPSE/SPSE को पार्क के रख–रखाव का प्रस्ताव कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् उन्हें Presentation देने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

9. अधिक जानकारी हेतु निगम कार्यालय के बाजार शाखा में संपर्क किया जा सकता हैं।

30/1/24

अपर प्रशासक
राँची नगर निगम, राँची।